

वित्त मंत्रालय

सरकारी स्टॉक की बिक्री (पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी

Posted On: 04 DEC 2017 10:01AM by PIB Delhi

केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित की बिक्री (पुनर्निर्गम) करने की घोषणा की है :-

- 1. मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए '6.84 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2022'
- 2. मूल्य आधारित नीलामी के जिए 8,000 करोड़ रुपये (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए '6.68 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2031'
- 3. मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 1,000 करोड़ रुपये (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए '6.57 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2033'
- 4. मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 1,000 करोड़ रुपये (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए '7.40 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2035'
- 5. मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए '7.72 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2055'

कुल अधिसूचित राशि के लिए 15,000 करोड़ रुपये की सीमा को देखते हुए भारत सरकार के पास उपर्युकृत किसी भी सूटॉक के सापेक्ष 1,000 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त अभिदान अपने पास रखने का विकल्प होगा। नीलामी बहुविकल्पीय मूल्य प्रक्रिया द्वारा संचालित की जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक के मुम्बई कार्यालय द्वारा ये नीलामियां 8 दिसंबर, 2017 (शुक्रवार) को आयोजित की जाएंगी।

सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी से जुड़ी गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा की योजना के अनुसार स्टॉक की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक का आवंटन पात्र व्यक्तियों एवं संस्थानों को किया जाएगा।

नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी एवं गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों ही बोलियां 8 दिसंबर, 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप (फॉर्मेट) में पेश की जानी चाहिए। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 10.30 बजे से लेकर प्रात: 11.30 बजे तक और प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 10.30 बजे से लेकर दोपहर 12.00 बजे तक पेश की जानी चाहिए।

इन नीलामियों के नतीजों की घोषणा 8 दिसंबर, 2017 (शुक्रवार) को ही कर दी जायेगी और सफल बोली लगाने वालों द्वारा भुगतान 11 दिसंबर, 2017 (सोमवार) को किया जायेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप ये स्टॉक 'व्हेन इश्यूड' ट्रेडिंग के लिए पात्र माने जाएंगे। इसके लिए दिनांक 16 नवंबर, 2006 को जारी परिपत्र संख्या आरबीआई/2006-07/178 देखें, जिसमें समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं।

वीके/एजे/एमएस - 5723

(Release ID: 1511786) Visitor Counter: 40









in